



कार्यालय  
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश  
लोक भवन, लखनऊ



संख्या .....

दिनांक .....

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग



CRCF0011329708

कृपया श्रीमती रामसखी कठेरिया, मा० पूव विधायक, अलीगढ़ के संलग्न पत्र दिनांक 15.05.2025 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उ०प्र० के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिये असाधारण अवकाश के प्राविधानमें आंशिक संशोधन कर वेतन वृद्धियां अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

यह पत्र मा० मुख्यमंत्री जी से मिलकर दिया गया है।

प्रकरण काफी समय से लम्बित है। क्या कठिनाई है? कृपया परीक्षणोपरान्त मुख्यमंत्री कार्यालय से समय प्राप्त कर मा० मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

संलग्नक—यथोक्त

1

17-05-2025

( संजय प्रसाद )  
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री  
उ० प्र० सरकार

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2



# रामसखी कठेरिया

मुख्य विधायक (कोल)

प्रदेश अध्यक्ष : कठेरिया सभा ज. कल्याण समिति

अध्यक्ष : गाल श्रमिक कल्याण संस्थान

सलाहकार समिति, अलीगढ़

सदस्य : परामर्श स्थाई समिति

कृषि, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण

व समाज कल्याण एवं महिला कल्याण राज विकास

विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं

निगम संयुक्त समिति

सेवा में,

मा० मुख्यमंत्री जी,

उत्तर प्रदेश।



मा० मुख्यमंत्री जी

मुख्य विचारधारा

Br:

16.5.25

(डॉ. दिनेश शर्मा)

संसद, राज्यसभा

सुपु. उप. मु. वि. वि. वि.



B-901, ओ. सी. अर.

लखनऊ

फोन- 201347

18/19, राम भवन

गांधी नगर, अलीगढ़-202 001

फोन- 412121

दिनांक 15.5.25

**विषय:-**उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिये असाधारण अवकाश के प्राविधान में आंशिक संशोधन कर वेतन वृद्धियां अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों के लिये अवकाश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2018" निर्गत किया गया है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों के लिये अनुमन्य अवकाश उपरोक्त यू०जी०सी० नियमन, 2018 के आधार पर शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 द्वारा अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 द्वारा निर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों के अन्तर्गत शिक्षकों को 05 वर्ष का असाधारण अवकाश अनुमन्य है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों को अनुमन्य असाधारण अवकाश वेतन रहित है, किन्तु इसके अतिरिक्त असाधारण अवकाश की वेतन वृद्धियां भी अनुमन्य नहीं है। शिक्षकों के राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पदों पर नियुक्त होने की दशा में असाधारण अवकाश का उपभोग किये जाने की अवधि की वेतनवृद्धियां अनुमन्य नहीं होने के कारण पुनः अपने मूल विभाग/तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर उनको वित्तीय

# रामसखी कठेरिया

विधायक (कोल)

प्रदेश अध्यक्ष : कठेरिया समाज कल्याण समिति

अध्यक्ष : बाल श्रमिक कल्याण समिति

सलाहकार समिति : अ. ग. उ.

सदस्य : परामर्श स्थाई समिति

कृषि, अनुसूचित जाति व गति कल्याण

व समाज कल्याण ए. ग. उ. कल्याण बाल विधायक

विधान मण्डल की शार्वजनिक उपक्रम एवं

निगम संयुक्त समिति



B-901, ओ. सी. आर.

लखनऊ

फोन- 201347

18/19, राम भवन

गोंधी नगर, अलीगढ़-202 001

फोन- 412121

दिनांक

15.5.25

हानि होती है। शिक्षकों द्वारा जनहित में उपभोग किये गये असाधारण अवकाश का प्रतिकूल प्रभाव उनकी वेतन सम्बन्धी परितब्धियों पर पड़ता है, जिसके कारण उनका वेतन अपने समकक्ष शिक्षकों से कम हो जाता है, जो एक विसंगति है।

3- भारत के संविधान के अन्तर्गत स्थापित संघीय अथवा राज्य विधान मण्डल के सदस्य होने अथवा कुलपति के पद पर नियुक्त होने अथवा संघ या राज्य सरकार द्वारा घोषित किये गये राष्ट्रीय महत्व के पदों पर संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने की दशा में ऐसे शिक्षकों द्वारा उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की अवधि की वेतन वृद्धियां उसी प्रकार अनुमन्य किया जाना आवश्यक है, जिस प्रकार उन्हें मूलपद पर कार्य करते हुए अनुमन्य होती है।

4- शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा भारत का संविधान के अन्तर्गत स्थापित संघीय अथवा राज्य विधान मण्डल के सदस्य तथा संघ या राज्य सरकार द्वारा कला/विज्ञान/साहित्यिक/सांस्कृतिक/खेल आदि संगठनों/शैक्षिक संस्थानों/आयोगों में निर्धारित राष्ट्रीय महत्व के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को अधिकतम 05 वर्ष का 'विशेष अवकाश' अनुमन्य किये जाने का उल्लेख है। विशेष अवकाश की अवधि में वेतन वृद्धियां अनुमन्य की गयी हैं।

5- उपर्युक्त विषय पर महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्णय लिये जाने का अनुरोध अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है, किन्तु अद्यतन कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः प्रदेश के शिक्षकों के हित में निम्न प्रकरण पर कृपापूर्वक विचार किये जाने का अनुरोध है:-

राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों में शिक्षकों के लिये अनुमन्य असाधारण अवकाश के वर्तमान प्रावधानों में यह संशोधन कर दिया जाय कि शिक्षकों के राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पदों पर नियुक्त होने की दशा में असाधारण अवकाश का उपभोग किये जाने की अवधि की वेतनवृद्धियां अनुमन्य करते हुए वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

# रामसखी कठेरिया



B-901 आ. टी. आर.

संभवतः

फोन- 20134

18/19, राम मय

गौरी नगर, असीगढ़-202 001

फोन - 412121

प्रदेश अध्यक्ष : कठेरिया सम  
अध्यक्ष : पाल प्रभिक कल  
सहायक अध्यक्ष : सती उ  
सदस्य : पदमपरी ल्याई सति

कुवि. अनुसंधान  
समाज कल्याण  
विद्यालय कक्षा की  
निगम समुक्त सति

15.5.25  
दिनांक

शिक्षकों के हित में सरकार द्वारा उक्त लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु  
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का शिक्षक समुदाय सदैव आभारी रहेगा।

भवदीया,

(रामसखी कठेरिया)

(रामसखी कठेरिया)

शिक्षकों के हित में सरकार द्वारा उक्त लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु